



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 आश्विन 1945 (श0)
(सं0 पटना 814) पटना, शुक्रवार, 6 अक्टूबर 2023

सारिथक वित्त निदेशालय
वित्त विभाग

अधिसूचना

5 अक्टूबर 2023

सं0 08/NBFC-12/2019 (खंड) 1306/वि0—केन्द्र सरकार के अविनियमित निक्षेप पाबंदी अधिनियम, 2019 (2019 का 21) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, तत्काल प्रभाव से, सचिव, गृह विभाग, बिहार को इस अधिनियम की धारा 30 के प्रयोजनों के लिये सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरविन्द कुमार चौधरी,
प्रधान सचिव।

The 5th October 2023

No 08/NBFC-12/2019 (खंड) 1306/वि0--In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 7 of The Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 (No. 21 of 2019), of Central Government of India, the State Government, hereby, appoints Secretary, Home Department, Bihar as Competent Authority for the purpose of section 30 of the said Act.

By the order of the Governor of Bihar,
Arvind Kumar Chaudhary,
Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 814-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>